



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 422 राँची, बुधवार,	28 आषाढ़, 1945 (श०)
	19 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

11 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-9/2017 का.-3868--श्री रामेश्वर राम, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-561/03),

तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड,

राँची के पत्रांक- (N)3276, दिनांक 26.12.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराया गया है,

जिसमें इनके विरुद्ध गुमला जिला में मनरेगा अन्तर्गत पौधा रोपण के कार्यों में गंभीर प्रकृति के

वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

श्री राम की मृत्यु दिनांक 26.11.2009 हो चुकी है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 के अनुसार आरोपी पदाधिकारी के मृत्यु के उपरांत उनके विरुद्ध संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाही को अविलंब समाप्त कर दिया जाना है, के आलोक में श्री रामेश्वर राम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रामेश्वर राम, सम्प्रति-मृत के आश्रित एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के अवर सचिव ।
